रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 252 ] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 1971/चैत्र 11, 1893

No. 252] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 1971/CHAITRA 11, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF FOREIGN TRADE

### NOTIFICATION

*New Delhi, the 1st April, 1971*

**S.O. 1491.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 18B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 82, dated the 1st January, 1966, namely:—

In the said notification, in paragraph 2—

(i) for directions (1) and (2) the following shall be substituted, namely:—

"(1) The Authorised Controller shall exercise all the powers for the Directors of the undertaking, whether such powers are derived from the Companies Act, 1956, (1 of 1956), or from the memorandum or articles of association of the undertaking or from any other source.

(2) All expenditure incurred on the emoluments, allowances and contribution of the Authorised Controller shall be met from the funds of the undertaking.';

(ii) in direction (4), the words "in accordance with the directions of the Council of Management" shall be omitted.

[No. F. 7(101)/70-TEX(G).]

B. D. KUMAR, Jt. Secy.

## विदेश व्यापार मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1971

**का० आ०** 1491.—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18ख के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 82 ता० 1 जनवरी, 1966 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैरा, 2 में—

(i) निदेश (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) प्राधिकृत नियंत्रक उपक्रम के निदेशकों की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, चाहे ऐसी शक्तियां कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) से मिलती हों, या उपक्रम के ज्ञापन अथवा संगम अनुच्छेदों से अथवा किसी अन्य स्रोत से।

(2) प्राधिकृत नियंत्रक की उपलब्धियों, भत्तों और अभिदायों पर किया गया सारा व्यय उपक्रम की निधियों में से पूरा किया जाएगा।";

(ii) निदेश (4) में "प्रबन्धक परिषद् के निदेशों के अनुसार" शब्द निकाल दिए जाएंगे।

[सं० फा० 7(101)/70—टैक्स (जी)]

बी० डी० कुमार, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971